राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 321/2023

सुनील कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जैसलमेर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जैसलमेर।
4. हरि सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.09.2023
आदेश की दिनांक : 30.05.2024

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रकरण की पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री हितेश विश्नोई अनुपस्थित। प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। उन्होंनें अवगत कराया कि प्रस्तुत अपील वर्ष 2023 में पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश के बावजूद नोटिस पेश नहीं किए गए है। अतः प्रकरण के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के आधार पर अपील को खारिज किया जावे।
2. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अधिकरण के आदेश दिनांक 12.09.2023 द्वारा प्रकरण में नोटिस दस्ती अधिवक्ता अपीलार्थी को दिए जाने हेतु दस्ती किया गया है, परन्तु पत्रावली पर नोटिस प्रस्तुत किए जाने के कोई तथ्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी एवं अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 12.09.2023 की अनुपालना नहीं की गई है। अपीलार्थी की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. लिहाजा, अधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने के आधार पर अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य